प्रारंभिक परीक्षा

भारत में नए रामसर स्थल

संदर्भ

भारत ने आर्द्रभूमि सूची में 4 और स्थल जोड़े हैं, जिससे आर्द्रभूमि की संख्या **85 से बढ़कर 89 हो गई है, जो एशिया में सर्वाधिक तथा विश्व में तीसरे स्थान पर है।**

भारत में नए रामसर स्थल -

- **सक्काराकोट्टई पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु**
  - यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर मन्नार की खाड़ी के पास रामनाथपुरम में स्थित है।
  - **पाई जाने वाली प्रजातियाँ**: पेंटेड स्टॉर्क**,** ब्लैक हेडेड आइबिस आदि।
- **थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु**
  - यह **पाक खाड़ी के पास** स्थित है।
  - यह प्रवासी जलचरों और जलपक्षियों के लिए एक पड़ाव के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से पूर्वी एशिया-ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवे के साथ।
  - अभयारण्य कई प्रजातियों जैसे पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक-हेडेड आइबिस, स्पॉट-बिल्ड पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर आदि का घर है।
- **खेचेओपलरी वेटलैंड, सिक्किम**
  - यह हिमालयी जंगलों से घिरी एक पवित्र झील है, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र से गुजरने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है।
  - इस झील को हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं।
  - इसे **विशिंग लेक** के नाम से भी जाना जाता है।
- **उधवा झील, झारखंड**
  - यह साहेबगंज जिले में स्थित है।
  - इसका नाम महाभारत काल के संत उद्धव, जो भगवान कृष्ण के मित्र थे, के नाम पर रखा गया है।
  - अभयारण्य में दो जल निकाय हैं: पटौरन और बेरहेले।
  - **यह झारखंड की पहली रामसर साइट है।**

तथ्य

- **भारत में कुल रामसर स्थल: 89**
- **रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या:** तमिलनाडु (**20**)
- **भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल**: सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)
- **भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल:** रेणुका वेटलैंड (हिमाचल प्रदेश)

रामसर कन्वेंशन

- **यह यूनेस्को के तहत एक अंतरसरकारी संधि है।**
- आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
- **इस पर 2 फरवरी 1971 को रामसर (ईरान) में हस्ताक्षर किये गये थे। (विश्व वेटलैंड दिवस)**
- **रामसर कन्वेंशन के भागीदार**: बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, वाइल्डफ़ॉवल और वेटलैंड्स ट्रस्ट।
- **भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ।**

स्रोत: **Times of India- New wetlands**

कांगो में संकट

संदर्भ

रवांडा द्वारा समर्थित M-23 विद्रोहियों ने पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DRC) में अपना आक्रमण तेज कर दिया है।

M-23 विद्रोहियों के बारे में -

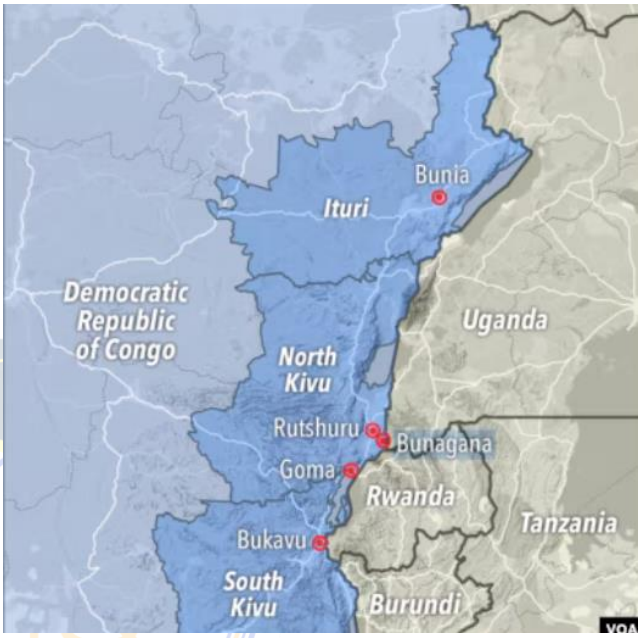

- **उत्पत्ति**: **अप्रैल 2012 में तब सामने आया** जब DRC की राष्ट्रीय सेना (FARDC) के लगभग 300 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया।
- **यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) के पूर्वी क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी किवु प्रांत में संचालित होता है।**
- **"मार्च-23 या M-23"** नाम **कांगो सरकार** और **नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल (CNDP)** के बीच **23 मार्च 2009 को हुए शांति समझौते को संदर्भित करता है। CNDP एक विद्रोही समूह था, जो बाद में M-23 के रूप में विकसित हुआ।**
- **M-**23 मुख्य रूप से जातीय तुत्सी से बना है और तुत्सी हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है**,** विशेष रूप से डेमोक्रेटिक फोर्सेज फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा (FDLR) जैसे हुतु मिलिशिया के खिलाफ।

M-23 की प्रगति का प्रभाव

- **जनसंख्या विस्थापन**: M-23 की नवीनतम प्रगति के कारण लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है।
- **आर्थिक नियंत्रण**: M-23 एक वर्ष से अधिक समय से रुबाया के कोल्टन-खनन क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है, जिससे उसे महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हो रहा है।
    - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि **M-23 कोल्टन उत्पादन पर कर** के माध्यम से **प्रति माह लगभग 800,000 डॉलर कमाता है।**
    - **कोल्टन स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।**

रवांडा की भागीदारी

- **रवांडा पर समर्थन का आरोप:** कांगो सरकार, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी शक्तियां, रवांडा पर M-23 विद्रोहियों के समर्थन में सैनिकों और भारी हथियारों को तैनात करके संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाती हैं।
- रवांडा इन दावों से इनकार करता है और तर्क देता है कि उसकी कार्रवाई रक्षात्मक है और DRC पर **FDLR के साथ सहयोग करने का आरोप लगाता है**, जो **तुत्सी समुदायों के लिए खतरा है**।

- **क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा**: क्षेत्रीय युद्ध में कई देशों के शामिल होने से मध्य अफ्रीका में अस्थिरता बढ़ रही है।

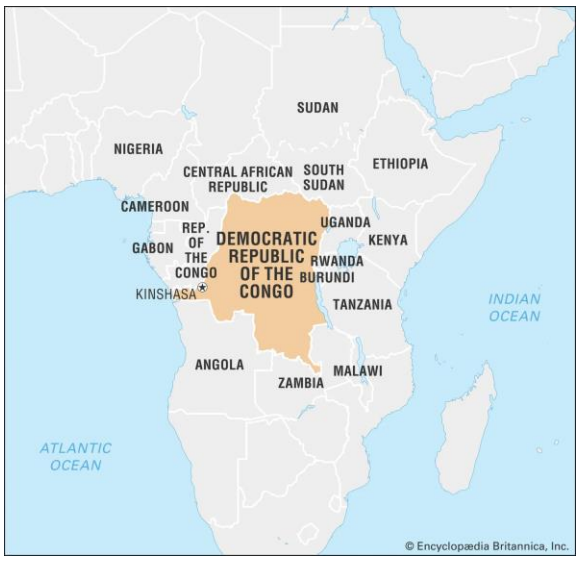

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के बारे में -

- **सीमावर्ती देश:** अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य।
- **यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। (सबसे बड़ा - अल्जीरिया)।**
- DRC कोबाल्ट**,** सोना और कोल्टन जैसे खनिजों से समृद्ध है।
- **महत्वपूर्ण नदी:** कांगो नदी - अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी।
- **इसकी राजधानी किंशासा कांगो नदी पर स्थित है।**

स्रोत: **The Hindu - Crisis in Congo**

21वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना

संदर्भ

भारत की 21वीं पशुधन गणना(LC) अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 के बीच होने वाली है।

राष्ट्रीय पशुधन गणना के बारे में -

- **इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा हर पांच साल में (पंचवार्षिक) आयोजित किया जाता है। (पहली बार 1919-1920 में आयोजित की गई थी)।**
- **यह गणना पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) द्वारा आयोजित की जाएगी।**
- **क्या कवर किया जाएगा?**
    - इस गणना में पालतू पशु, मुर्गीपालन और आवारा पशु शामिल होंगे।
    - इसमें पशुओं की प्रजाति, नस्ल, आयु, लिंग और स्वामित्व स्थिति का डेटा शामिल होगा।
    - इस गणना में पशुधन की 15 प्रजातियों के आंकड़े शामिल होंगे, जिनमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा आदि शामिल हैं
    - गणना में पोल्ट्री पक्षियों जैसे मुर्गियाँ, मुर्गियाँ, बत्तख, टर्की और अन्य पोल्ट्री पक्षियों का डेटा भी शामिल होगा।

20वीं पशुधन गणना की मुख्य बातें -

- भारत में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो 2012 की गणना की तुलना में 4.6% की वृद्धि दर्शाती है।
- कुल पशुधन आबादी में मवेशियों का योगदान सबसे अधिक प्रतिशत (35.94%) है, इसके बाद बकरियां (27.80%), भैंस (20.45%), भेड़ (13.87%) और सूअर (1.69%) हैं।
- **भारत में सर्वाधिक पशुधन आबादी वाले राज्य थे:**
    - उत्तर प्रदेश
    - राजस्थान
    - मध्य प्रदेश

स्रोत: **The Hindu - Livestock census**

पीएम धन धान्य कृषि योजना

संदर्भ

केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है।

योजना के बारे में -

- **उद्देश्य:**
    - कम कृषि उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों को लक्षित करना।
    - कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन करना।
- **यह कार्यक्रम 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' से प्रेरित है जिसे 2018 में "देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से बदलने के लिए" शुरू किया गया था।**

प्रमुख विशेषताऐं

- **फसल कटाई के बाद भंडारण में सुधार**: पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण के बुनियादी ढांचे।
- **सिंचाई सुविधाएं**: जल संसाधनों तक बेहतर पहुंच।
- **ऋण उपलब्धता**: किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करना।
- **लाभार्थी**: 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद।
- **बजट आवंटन**: कोई अलग आवंटन की घोषणा नहीं की गई; मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से धन का प्रबंधन किया जाएगा।

स्रोत: [The Hindu - Dhan Dhanya Krishi Yojana]

गुजरात का पहला जैवविविधता विरासत स्थल - गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव

संदर्भ

गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव को जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) के रूप में अधिसूचित किया है।

गुनेरी मैंग्रोव की अनूठी विशेषताएं -

- **यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। इसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है।**
- यह अरब सागर से 45 किमी और कोरी क्रीक से चार किमी की दूरी पर स्थित है, जहां समुद्री पानी कभी नहीं पहुंचता। (समुद्री जल से कोई सीधा संबंध नहीं)
- साइट में कीचड़युक्त भूभाग का अभाव है, और यह जंगल की तरह समतल भूमि पर स्थित है
- **यह एक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है। (भारत में अंतिम शेष अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल)।**
- **अंतर्देशीय मैंग्रोव दुनिया भर में केवल 8 स्थानों पर पाए जाते हैं।**
- **चूना पत्थर जमाव:**
    - अध्ययनों के अनुसार अंतर्देशीय मैंग्रोव चूना पत्थर के जमाव वाले क्षेत्रों में जीवित रहते हैं जो समुद्र तल से जुड़ते हैं।
    - चूना पत्थर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र/वनस्पति को भूजल का निरंतर प्रवाह प्रदान करता है।
    - पश्चिमी कच्छ और गुनेरी मैंग्रोव के आसपास के क्षेत्रों में चूना पत्थर जमाव के रिकॉर्ड हैं।
- **पक्षी-जीव:** इसमें लगभग 20 प्रवासी और 25 स्थानीय प्रवासी प्रजातियां पाई जाती हैं।

स्रोत: **Indian Express - Guneri**

AI-संचालित आनुवंशिक परीक्षण

संदर्भ

चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ आनुवंशिक जानकारी को तेजी से संसाधित किया जा सकता है, इसलिए जांच के दायरे में आने वाले व्यक्तिगत डेटा की मात्रा से डेटा सुरक्षा जोखिम और लीक की संभावना बढ़ जाती है।

AI-संचालित आनुवंशिक परीक्षण के बारे में -

- **AI-संचालित आनुवंशिक परीक्षण से तात्पर्य पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से विशाल मात्रा में आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के उपयोग से है।**
- ये परीक्षण डीएनए में पैटर्न और विविधताओं की पहचान करने पर केंद्रित होते हैं जो कुछ बीमारियों, लक्षणों या स्थितियों के प्रति पूर्व प्रवृत्ति का संकेत दे सकते हैं।
- **AI-संचालित आनुवंशिक परीक्षण के लाभ:** तीव्र प्रसंस्करण, बेहतर सटीकता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य अंतर्दृष्टि, लागत प्रभावी।

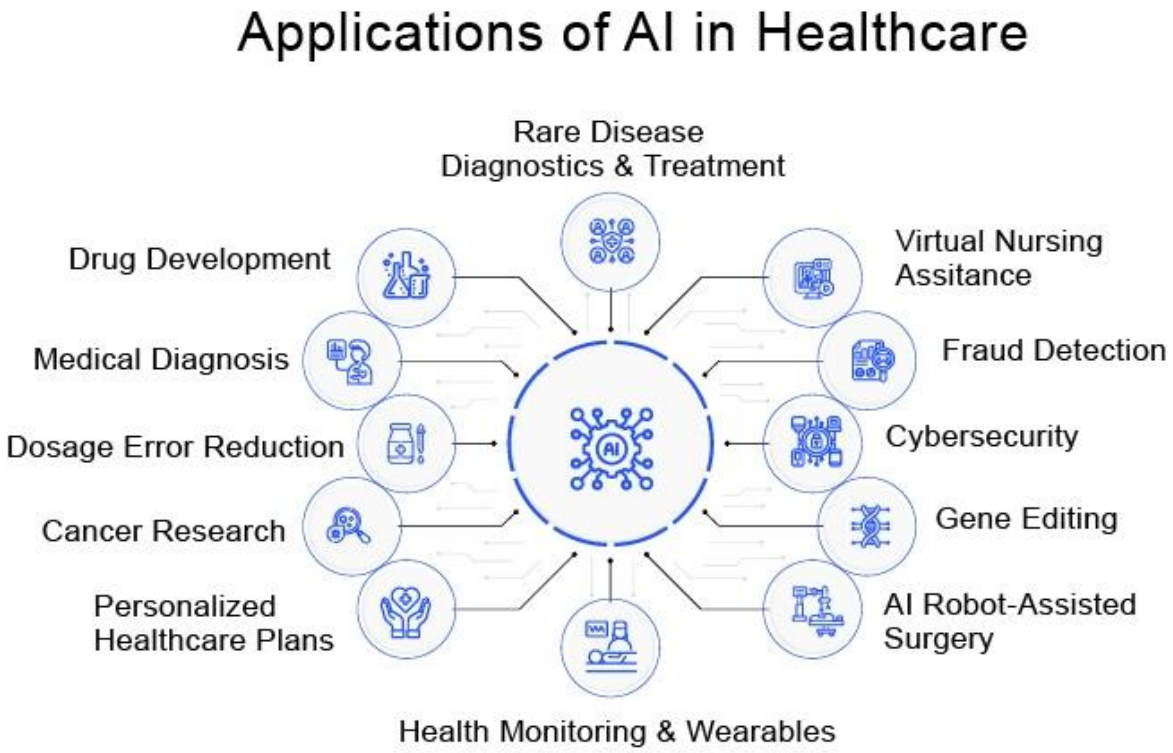

AI-संचालित आनुवंशिक परीक्षण की चुनौतियाँ

- **सीमित पूर्वानुमान शक्ति:**
  - आनुवंशिक परीक्षण पूर्वाग्रहों की भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन निश्चितताओं की नहीं। AI जोखिमों की पहचान करने में सहायता कर सकता है लेकिन परिणामों की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आनुवंशिकी कुछ विशेषताओं (जैसे स्कूल या करियर में सफलता) के केवल 30% में योगदान देती है।
- **नैतिक चिंताएँ:**

- AI-संचालित आनुवंशिक परीक्षण अप्रत्याशित परिणाम प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए पूर्वधारणा, जिससे व्यक्ति को चिंता या भ्रम हो सकता है। इन परीक्षणों को स्पष्टता के लिए अक्सर परिवार के अन्य परीक्षण की आवश्यकता होती है।

- **जटिल निदान:**
  - AI आनुवंशिक जोखिम का आकलन कर सकता है, लेकिन यह निश्चित निदान प्रदान नहीं कर सकता है। अल्जाइमर या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों दोनों पर निर्भर करती हैं, जिससे परिणामों की व्याख्या जटिल हो जाती है।
- **डेटा सुरक्षा जोखिम:**
  - आनुवंशिक डेटा को संग्रहीत और संसाधित करना निजता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा करता है। 23andMe जैसी कोई भी चोरी, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर सकती है। कई कंपनियाँ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर लागू होने वाले सख्त डेटा सुरक्षा नियमों के तहत काम नहीं करती हैं।

स्रोत: **The Hindu - challenges associated with AI-driven genetic testing**

समाचार संक्षेप में

बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली(VSHORAD)

- **DRDO ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर तट से VSHORAD के लगातार तीन उड़ान परीक्षण किए हैं।**

VSHORAD के बारे में -

- **यह चौथी पीढ़ी की मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली (MANPAD) है।**
- **डिजाइन एवं विकास:** अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई), हैदराबाद (डीआरडीओ की एक सुविधा)
- **इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम उड़ान वाले विमानों सहित हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- **उन्नत विशेषताएँ**:
  - लघु और हल्की
  - अत्यधिक गतिशील
  - लक्ष्य विनाश में सटीक सटीकता
  - कम थर्मल सिग्नेचर के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम

स्रोत: Indian Express - Indigenous man portable air defence system

जापान ने H3 रॉकेट से मिचिबिकी 6 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया

- **जापान की अंतरिक्ष एजेंसी (JAXA) ने अपने नए H3 रॉकेट पर एक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।**
- H3 उपग्रहों और अंतरग्रही मिशनों जैसे भारी पेलोड के लिए JAXA का एक प्रमुख रॉकेट है।

जापान की क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम (QZSS) - (UPSC प्रारभिक परीक्षा- 2023)

- **QZSS एक जापानी उपग्रह प्रणाली है जो पोजिशनिंग और संचार सेवाएं प्रदान करती है**
- जापान वर्तमान में 2018 में लॉन्च किए गए चार-उपग्रह QZSS का संचालन करता है
- मिचिबिकी 6 QZSS नेटवर्क का पांचवां उपग्रह है
- **प्राथमिक उद्देश्य:**
  - बेहतर स्थान सटीकता के लिए अमेरिकन जी.पी.एस. का पूरक
  - स्मार्टफोन, कार नेविगेशन, समुद्री नेविगेशन और ड्रोन के लिए स्थिति निर्धारण डेटा को बढ़ाना।

स्रोत: The Hindu - Japan launches a navigation satellite

ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) द्वारा उत्पन्न यौन दुर्व्यवहार फोटोज के विरुद्ध ऐतिहासिक कानून लागू करेगा

- इस कानून का **उद्देश्य बाल यौन शोषण सामग्री के निर्माण और वितरण में AI के बढ़ते दुरुपयोग से निपटना है।**
- **ब्रिटेन AI-जनित यौन दुर्व्यवहार सामग्री को लक्षित करने वाला कानून लागू करने वाला पहला देश बन जाएगा।**

नये कानून के प्रमुख प्रावधान -

- **बाल यौन शोषण फोटोज के लिए AI उपकरणों का अपराधीकरण**: बच्चों की यौन दुर्व्यवहार वाली फोटोज को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले AI उपकरणों को रखना, बनाना या वितरित करना अवैध है।
- **AI "पीडोफाइल मैनुअल" पर प्रतिबंध**: पाओडोफाइल मैनुअल ऐसे मार्गदर्शक हैं जो अपराधियों को बाल यौन शोषण के लिए AI का उपयोग करना सिखाते हैं।
- **बाल दुर्व्यवहार के लिए उपयोग किए जाने वाले AI मॉडल पर प्रतिबंध**: बाल दुर्व्यवहार सामग्री उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले AI मॉडल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- **बाल शोषण को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों का अपराधीकरण**: उन वेबसाइट ऑपरेटरों को लक्षित करना जो बाल दुर्व्यवहार सामग्री साझा करने या उन्हें संवारने की सलाह देने के लिए मंच प्रदान करते हैं।

स्रोत: The Hindu - laws against AI tools

पारसनाथ पहाड़ी

- **पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी (1,365 मीटर) है, जो गिरिडीह जिले में स्थित है।**
- **यह जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल और आदिवासी संथाल समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान है।**
- यह पहाड़ी पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, जो एक संरक्षित क्षेत्र है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व

- **जैन धर्म:**
  - जैनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल (श्री सम्मेद शिखरजी) माना जाता है।

- माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था।
- पहाड़ी पर कई जैन मंदिर और तीर्थस्थल मौजूद हैं।

- **संथाल जनजाति**:
  - **मारंग बुरु ("महान पर्वत") को उनकी धार्मिक प्रथाओं के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता देता है ।**
  - **इस स्थल पर वार्षिक उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किया जाता है।**
  - यह स्थल जनजातीय समुदाय के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है।

स्रोत: **The Hindu - Parasnath's Marang Buru**

म्यांमार से मणिपुर में शरणार्थियों का आगमन

- **म्यांमार सेना के हवाई हमलों के बीच, लगभग 260 म्यांमार शरणार्थियों ने मणिपुर में मोरेह सीमा पर शरण ली है।**
- **मोरेह (मणिपुर-म्यांमार सीमा):**
  - यह भारत के मणिपुर राज्य का एक सीमावर्ती शहर है।
  - **भारत और म्यांमार के बीच एक प्रमुख व्यापार बिंदु है तथा हिंसा से भाग रहे म्यांमार शरणार्थियों के लिए प्रवेश बिंदु है।**

म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) -

- **FMR भारत और म्यांमार के बीच 1968 में स्थापित एक द्विपक्षीय समझौता है, जो पारिवारिक और जातीय संबंधों के कारण सीमा की एक निश्चित दूरी के निवासियों को स्वतंत्र रूप से पार करने की अनुमति देता है।**
  - मिज़ो, कुकी और चिन, जिन्हें सामूहिक रूप से ज़ो लोगों के रूप में जाना जाता है (सीमा के दोनों ओर) एक समान वंश और मजबूत जातीय संबंध साझा करते हैं।
- भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किमी लंबी है। (काफी हद तक बिना बाड़ वाला) जो 4 भारतीय राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है

स्रोत: **The Hindu - 260 refugees from Myanmar**

संपादकीय सारांश

घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून

संदर्भ

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून बनाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- न्यायालय ने केंद्र को घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा और विनियमन के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करने का आदेश दिया।

घरेलू कामगारों के समक्ष चुनौतियाँ

- **कानूनी संरक्षण का अभाव:** घरेलू कामगार प्रमुख श्रम कानूनों से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया है**,** जैसे:
  - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
  - समान पारिश्रमिक अधिनियम
  - कुछ राज्यों में नियम हैं, लेकिन सभी राज्यों पर बाध्यकारी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है।
- **स्त्रीकृत व्यवसाय**: घरेलू कामगारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाएं और हाशिए के समुदायों से आने वाले प्रवासी हैं।
- **वेतन असमानताएं और खराब कार्य स्थितियां**: वेतन और लाभ कार्य और रोजगार के प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं।
  - कई श्रमिकों को कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी का सामना करना पड़ता है।
  - कार्यभार में वृद्धि अक्सर बिना किसी अतिरिक्त मुआवजे के होती है।
- **सामाजिक धारणा और कार्यस्थल संबंधी मुद्दे**: घरेलू काम को कम महत्व दिया जाता है, इसे महिलाओं के लिए एक "स्वाभाविक कौशल" माना जाता है।
  - नियोक्ता प्रायः श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तथा उत्पीड़न और अपमान के मामले मीडिया में शायद ही कभी आ पाते हैं।
- **कानूनी मान्यता संबंधी मुद्दे**: भारत ने आईएलओ कन्वेंशन 189 का अनुसमर्थन नहीं किया है, जो घरेलू कामगारों के लिए सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है।
  - प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण के लिए पिछले न्यायिक हस्तक्षेपों से महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।

पृथक विधान की आवश्यकता

इस तर्क के बावजूद कि नई श्रम संहिताएं समावेशी हैं, पृथक कानून बनाने के लिए कई मजबूत कारण हैं:

- वेतन संहिता (2019) घरेलू काम को कवर करती है, लेकिन रोजगार के प्रकारों (अंशकालिक/पूर्णकालिक, लिव-इन/लिव-आउट) की अनूठी जटिलताओं को संबोधित नहीं करती है।
- घरेलू कार्य की निजी प्रकृति नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विषम संबंध पैदा करती है, जिससे विनियमन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

घरेलू कार्य की परिभाषा और रोजगार का प्रमाण

- घरेलू काम की स्पष्ट एवं समावेशी परिभाषा आवश्यक है।
- रोजगार का प्रमाण एक बड़ी बाधा है:

  - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन के लिए रोजगार का प्रमाण उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।
  - घरेलू कामगारों के संघ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों के अनिवार्य नियोक्ता पंजीकरण की वकालत करते हैं।
- **नियोक्ताओं का प्रतिरोध:** कई नियोक्ता स्वयं को औपचारिक नियोक्ता नहीं मानते हैं।
  - घरेलू कामगारों के पंजीकरण के प्रति उनके प्रतिरोध को नीतिगत निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए।

भविष्य की दिशाएं

- न्यूनतम अधिकार और निवारण तंत्र मौजूदा शक्ति पदानुक्रम को चुनौती देने में मदद कर सकते हैं।
- एक राष्ट्रीय कानून को क्षेत्रीय और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें केरल और दिल्ली मामले के अध्ययन के रूप में काम करेंगे।
- कानून बनाते समय यूनियनों के दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए।
- हालाँकि कोई कानून तुरंत स्थितियों में सुधार नहीं कर सकता है, लेकिन यह यह कर सकता है:
  - समय के साथ शक्ति संबंधों को पुनः परिभाषित करना।
  - श्रमिकों की आवाज़ और यूनियनों को मजबूत करना।
- इस पहल की सफलता इस पर निर्भर करती है:
  - समिति की सिफ़ारिशें।
  - केंद्र सरकार की अनुवर्ती कार्रवाई।

स्रोत: **Indian Express: My Workplace, Your Home**

विस्तृत कवरेज

केंद्रीय बजट 2025-26

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया।

भारत का केंद्रीय बजट: संवैधानिक प्रावधान और तैयारी की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 112**: **वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) को परिभाषित करता है**, जो भारत का केंद्रीय बजट है।
- **अनुच्छेद 113:** मंत्रालयों द्वारा **अनुदान की मांग** प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 114**: **विनियोग विधेयक को नियंत्रित करता है**, जो भारत की समेकित निधि से धन निकालने को अधिकृत करता है।
- **अनुच्छेद 115**: प्रारंभिक बजट आवंटन अपर्याप्त होने पर **अनुपूरक, अतिरिक्त और अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान करता है।**
- **अनुच्छेद 116**: **लेखानुदान**, **प्रत्ययानुदान** और **असाधारण अनुदान से संबंधित है**, तथा विशिष्ट परिस्थितियों में व्यय की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 265**: यह सुनिश्चित करता है कि **कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना लगाया या संग्रहित नहीं किया जा सकता**।
- **अनुच्छेद 280**: **वित्त आयोग का प्रावधान है**, जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया

1. **बजट पूर्व परामर्श**
2. **बजट अनुमानों का निर्माण**
3. **कैबिनेट द्वारा अनुमोदन**
4. **संसद में प्रस्तुति**
5. **संसदीय जांच और अनुमोदन:** बजट **पर संसद में चर्चा की जाती है**, उसके बाद:
    - सामान्य चर्चा (मतदान नहीं, केवल बहस)।
    - संसदीय स्थायी समितियों द्वारा विभागीय जांच।
    - अनुदान की मांग (विस्तृत चर्चा एवं मतदान)।
    - विनियोग विधेयक (खर्च के लिए कानूनी प्राधिकार)।
    - वित्त विधेयक (कर प्रस्तावों के लिए कानून)।
6. **कार्यान्वयन**

केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य विशेषताएं

प्रमुख केन्द्रीय सरकारी व्यय (बजट अनुमान)

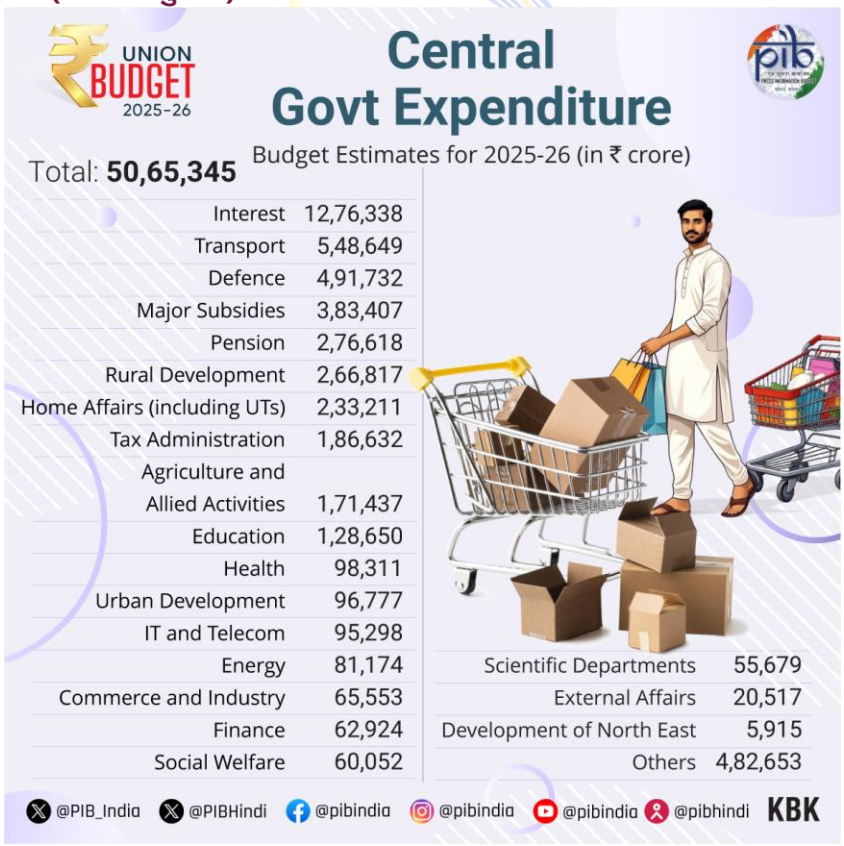

वित्तीय रुझान

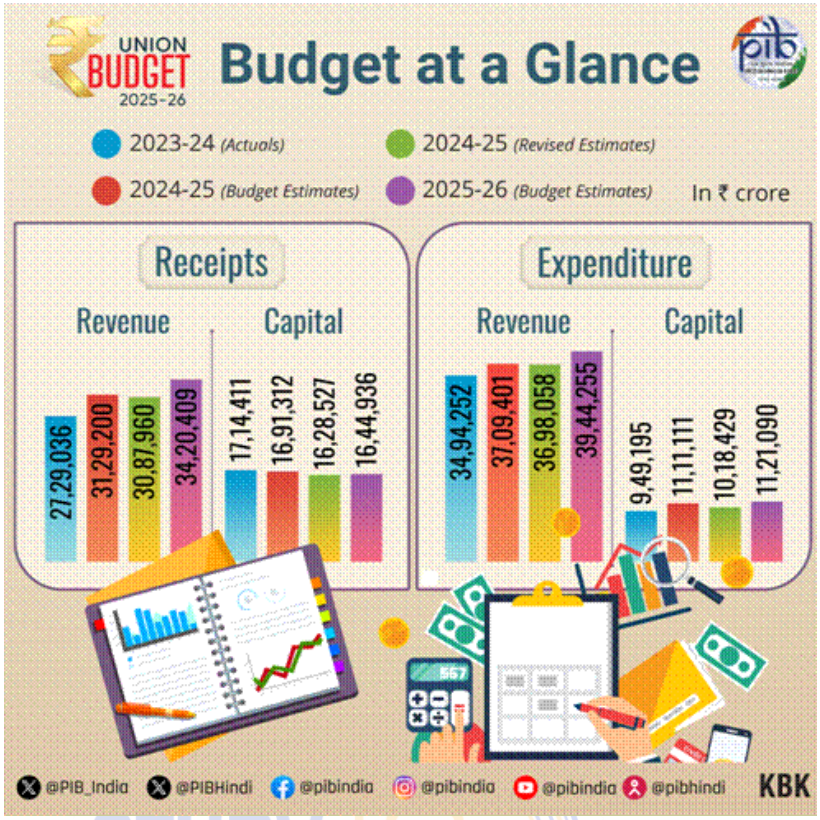
UNION BUDGET 2025-26
Budget at a Glance
2023-24 (Actuals)
2024-25 (Revised Estimates)
2024-25 (Budget Estimates)
2025-26 (Budget Estimates)
In ₹ crore
Receipts
Revenue
Capital
27,29,036
31,29,200
30,87,960
34,20,409
17,14,411
16,91,312
16,28,527
16,44,936
Expenditure
Revenue
Capital
34,94,252
37,09,401
36,98,058
39,44,255
9,49,195
11,11,111
10,18,429
11,21,090
@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibhindi
KBK

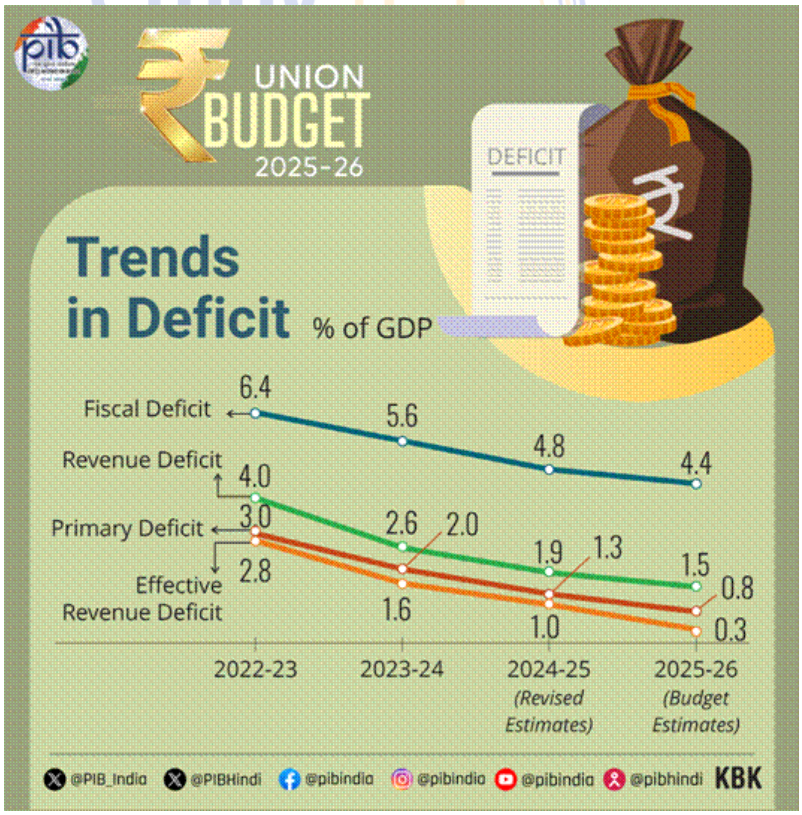
UNION BUDGET 2025-26
DEFICIT
Trends in Deficit
% of GDP
Fiscal Deficit
Revenue Deficit
Primary Deficit
Effective Revenue Deficit
6.4
5.6
4.8
4.4
4.0
3.0
2.6
2.0
1.9
1.3
1.5
0.8
2.8
1.6
1.0
0.3
2022-23
2023-24
2024-25 (Revised Estimates)
2025-26 (Budget Estimates)
@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @pibindia @pibhindi
KBK

राजस्व के प्रमुख स्रोत

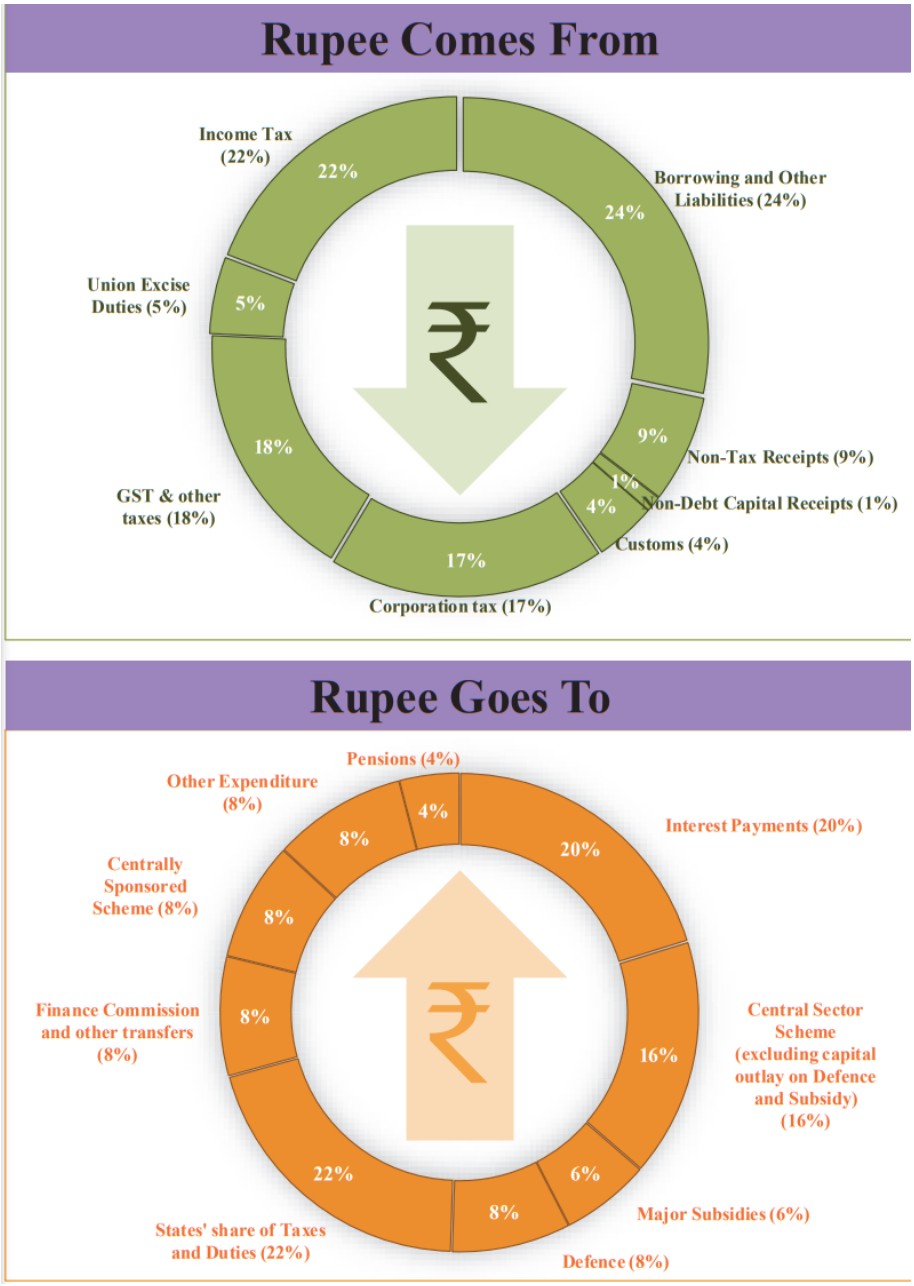

चार विकास इंजन

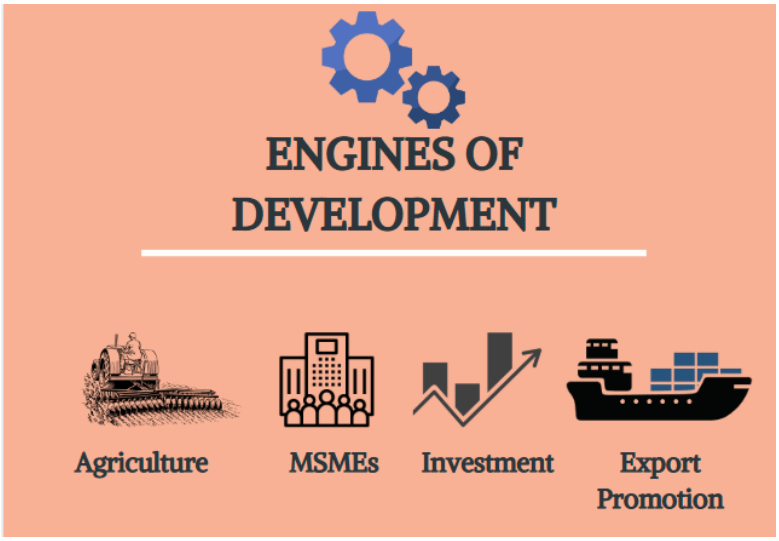

पहला इंजन – कृषि

- **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना**: इसका लक्ष्य 100 कम उत्पादकता वाले जिले हैं, जिससे सिंचाई और फसल-पश्चात भंडारण में सुधार के कारण 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- **ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम**: कृषि में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य साझेदारी पहल।
- **दलहनों में आत्मनिर्भरता**: **तूर, उड़द और मसूर** पर केंद्रित **6-वर्षीय मिशन**, जलवायु-अनुकूल बीज और उचित मूल्य सुनिश्चित करना।
- **दालों की खरीद हेतु सहायता**: नैफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) और एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ) अगले 4 वर्षों में इन दालों की खरीद करेंगे।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाई गई**: ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई, जिससे 7.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
- **उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन**: इसका लक्ष्य 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्में विकसित करना है।
- **कपास उत्पादकता मिशन**: टिकाऊ कपास खेती को बढ़ावा देने और अतिरिक्त-लंबे स्टेपल (ईएलएस) कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 साल की पहल।
- **बिहार में मखाना बोर्ड**: मखाना क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
- **फल एवं सब्जी कार्यक्रम**: किसानों के लिए आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और बाजार मूल्य में वृद्धि करता है।
- **मत्स्य विकास**: भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए एक नया ढांचा, जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **असम में यूरिया संयंत्र**: ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल) में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली एक नई सुविधा।

दूसरा इंजन – MSME

- **संशोधित MSME वर्गीकरण**: निवेश और टर्नओवर सीमा बढ़ाई गई, ऋण अवसरों का विस्तार किया गया।

उद्यम	निवेश (करोड़ रुपए में)		टर्नओवर (करोड़ रुपए में)	
	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित

सुक्ष्म	1	2.5	5	10
लघु	10	25	50	100
मध्यम	50	125	250	500

- **माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड**: 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
- **MSME के लिए ऋण कवर में वृद्धि**: गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया, जिससे ऋण तक पहुंच में वृद्धि हुई।
- **चमड़ा एवं फुटवियर के लिए फोकस उत्पाद योजना**: इससे 22 लाख नौकरियां पैदा होंगी, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा और निर्यात बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
- **खिलौना क्षेत्र का विकास**: क्लस्टर आधारित विनिर्माण से वैश्विक स्तर पर 'मेड इन इंडिया' खिलौनों को बढ़ावा मिलेगा।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (बिहार)**: खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स**: स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त ₹10,000 करोड़ के योगदान के साथ दायरा बढ़ाया गया।

तीसरा इंजन – निवेश

- **शहरी चुनौती निधि**: शहरों को विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करने, स्वच्छता में सुधार लाने और शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़)।
- **जल जीवन मिशन**: बजट बढ़ाकर ₹67,000 करोड़ किया गया, 2028 तक बढ़ाया गया, सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित की गई; अब तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए।
- **समुद्री विकास निधि**: जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए ₹25,000 करोड़ का कोष (49% सरकारी योगदान)।
- **आईआईटी का विस्तार**: 6,500 छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना।
- **पीएम रिसर्च फेलोशिप**: आईआईटी और आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप।
- **डे केयर कैंसर सेंटर**: 2025-26 तक 200 केंद्र, किफायती कैंसर उपचार के लिए अगले 3 वर्षों में जिला स्तर पर विस्तार।
- **भारतीय भाषा पुस्तक योजना**: शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें।
- **विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन**: लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश, जिनमें से 5 2033 तक चालू हो जाएंगे।
    - निजी क्षेत्र के सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कानूनों में संशोधन।
- **उड़ान – क्षेत्रीय संपर्क विस्तार**:
    - 120 नये गंतव्य जोड़े गये।
    - अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों का लक्ष्य।
    - पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के लिए समर्थन।
- **बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा**: नए हवाई अड्डों का विकास और पटना हवाई अड्डे का विस्तार, बिहटा (पटना) में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा।
- **पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना**: बिहार के मिथिलांचल में सिंचाई बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता।
- **पर्यटन विकास**: शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्य भागीदारी मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

चौथा इंजन – निर्यात संवर्धन

- **निर्यात संवर्धन मिशन**: वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालयों के नेतृत्व में क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्य।
- **भारतट्रेडनेट (BTN)**: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **वैश्विक क्षमता केन्द्रों (GCC) के लिए राष्ट्रीय ढांचा**: टियर-2 शहरों में आउटसोर्सिंग केन्द्रों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन।
- **एयर कार्गो वेयरहाउसिंग**: उच्च मूल्य वाले नाशवान निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

- प्रभावी शुल्क भार को बनाए रखने के लिए टैरिफ दरों को उचित उपकर के साथ समायोजित किया गया।
- लागू वस्तुओं पर केवल एक उपकर या अधिभार लगाया जाएगा।
- बहुविध टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट।

दवा आयात

- **जीवनरक्षक दवाओं पर शुल्क राहत**: **36 आवश्यक दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)** से छूट दी गई ।
    - **6 अतिरिक्त दवाओं पर** रियायती **5% शुल्क लगेगा**।
- **रोगी सहायता कार्यक्रम**: **37 और दवाओं** तथा **13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को बी.सी.डी. छूट** प्रदान की गई।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन के लिए समर्थन

- **महत्वपूर्ण खनिज**: उपलब्धता बढ़ाने के लिए **कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा और जस्ता पर बीसीडी की छूट।**
- **वस्त्र क्षेत्र**: घरेलू उत्पादन को समर्थन देने के लिए पूर्ण छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी श्रेणी के अंतर्गत **दो और शटल-रहित करघों को शामिल किया गया।**
- **इलेक्ट्रॉनिक सामान**: उलटे शुल्क ढांचे में सुधार:
    - **इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) पर बीसीडी** में वृद्धि ।
    - **ओपन सेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर बीसीडी** कम हो गया ।
- **लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण: ईवी बैटरी और मोबाइल फोन बैटरी उत्पादन** के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर अतिरिक्त **शुल्क छूट**।
- **शिपिंग उद्योग**: जहाज निर्माण और विघटन में प्रयुक्त कच्चे माल, घटकों और उपभोग्य सामग्रियों पर **बीसीडी छूट 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।**

निर्यात संवर्धन उपाय

- **हस्तशिल्प क्षेत्र**: **शुल्क मुक्त इनपुट सूची** में **नौ नई वस्तुओं को जोड़ा गया**।
- **चमड़ा उद्योग**: घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए **वेट ब्लू लेदर पर पूर्ण बीसीडी छूट।**
- **समुद्री निर्यात**: भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) पर बीसीडी को 30%** से घटाकर 5% किया गया।
- **रेलवे माल रखरखाव (एमआरओ):** घरेलू एमआरओ विकास को बढ़ावा देने के लिए **मरम्मत के लिए विदेशी रेलवे माल के शुल्क मुक्त आयात** की समय सीमा **6 महीने** से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई।

प्रत्यक्ष कर

नया आयकर विधेयक

- कराधान को सरल और कारगर बनाने के लिए एक नया विधेयक पेश किया जाएगा, जिससे "न्याय" की भावना के अनुरूप उत्तरदायी और कुशल शासन सुनिश्चित होगा।

व्यक्तिगत आयकर

- **12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं, कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए इसे बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये किया गया।**

प्रति वर्ष कुल आय	कर की दर
₹ 0 – 4 लाख	शून्य
₹ 4 – 8 लाख	5%
₹ 8 – 12 लाख	10%
₹ 12 – 16 लाख	15%
₹ 16 – 20 लाख	20%
₹ 20 – 24 लाख	25%
₹ 24 लाख से अधिक	30%

टीडीएस/टीसीएस का युक्तिकरण

- **टीडीएस दरों और सीमा में कमी**: बेहतर कर स्पष्टता के लिए कम कर कटौती दरें और बढ़ी हुई सीमा।
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई।
  - किराये पर टीडीएस बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया गया, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा।
- **विप्रेषण पर उच्च टीसीएस छूट**: आरबीआई की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत, टीसीएस सीमा ₹7 लाख से बढ़कर ₹10 लाख हो जाएगी।
- **टीसीएस भुगतान में देरी को अपराधमुक्त करना**: टीसीएस के भुगतान में देरी के लिए, बिना किसी दंड के, दाखिल करने की अंतिम तिथि तक छूट प्रदान की गई।
- **स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना:** सही आय की रिपोर्ट करने से चूकने वाले करदाताओं के लिए अद्यतन कर रिटर्न दाखिल करने की अवधि **2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है।**

व्यापार करने में आसानी

- **सरलीकृत स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियम**: अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण निर्धारित करने के लिए एक नया तंत्र, जो **3 वर्ष की ब्लॉक अवधि को कवर करता है।**
- **सेफ हार्बर नियमों का विस्तार**: मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए कर निश्चितता बढ़ाने के लिए व्यापक दायरा।
- **वरिष्ठ नागरिकों को निकासी से छूट: वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पुराने एनएसएस खातों** से निकासी (29 अगस्त, 2024 के बाद) कर-मुक्त होगी।
  - एनपीएस वात्सल्य खातों को निर्धारित सीमा के भीतर नियमित एनपीएस खातों की तरह माना जाएगा।

रोजगार और निवेश प्रोत्साहन

- **गैर-निवासियों के लिए कर निश्चितता: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र AIF** में सेवाएं प्रदान करने वाले **गैर-निवासियों** के लिए एक अनुमानित कराधान योजना शुरू की जाएगी।
- **अंतर्देशीय जहाजों के लिए टन भार कर योजना**: **भारतीय पोत अधिनियम, 2021** के तहत **अंतर्देशीय जहाजों तक विस्तारित।**
- **स्टार्ट-अप निगमन विस्तार: स्टार्ट-अप निगमन** के लिए पात्रता अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है , जिसमें 1 अप्रैल, 2030 से पहले निगमित संस्थाएं शामिल होंगी।

- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए समर्थन:** आईएफएससी में स्थापित जहाज-पट्टा इकाइयों, बीमा कार्यालयों और **वैश्विक कंपनी ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन।**
- **सॉवरेन एवं पेंशन फंड के लिए विस्तारित निवेश अवधि**: बुनियादी ढांचे में सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड के लिए **निवेश अवधि 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।**

स्रोत: **PIB: SUMMARY OF UNION BUDGET 2025-26**